प्रेस नोट-19.03.2024

थाना मदनापुर पुलिस द्वारा अवैध शराब का निष्कर्षण करते हुये एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, मौके से करीब 10 लीटर अवैध कच्ची शराब व 200 लीटर लहन तथा शराब बनाने के उपकरण बरामद

श्री अशोक कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार अवैध कच्ची शराब की कसीदगी/निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम मे श्री संजय कुमार, पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन मे व श्री अमित चौरसिया, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक श्री अश्वनी कुमार के नेतृत्व मे थाना मदनापुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 19/03/2024 को समय करीब 04.35 बजे मुखबिर की सूचना पर ग्राम जौराभूड के पास खाली पडी कोठरी से अभियुक्त सुखपाल पुत्र रामलाल मोर्य निवासी ग्राम जौराभूड थाना मदनापुर जनपद शाहजहांपुर को अवैध कच्ची शराब का निष्कर्षण करते हुये गिरफ्तार किया गया। मौके से करीब 10 लीटर अवैध कच्ची शराब व 200 लीटर लहन व शराब बनाने के उपकरण बरामद हुये। बरामद लहन को मौके पर नष्ट किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

- सुखपाल पुत्र रामलाल मोर्य निवासी ग्राम जौराभूड थाना मदनापुर जनपद शाहजहांपुर

पंजीकृत अभियोग

- मु0अ0स0 93/2024 धारा 60(2) Ex Act बनाम सुखपाल उपरोक्त

बरामदगी का विवरणः-

- एक प्लास्टिक की पिपिया मे करीब 10 ली0 अवैध कच्ची शराब
- शराब बनाने के उपकरण (एक कनस्तर, एक चिपनी, एक तसला, एक पाइप रबर)

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम का विवरणः-

- उ0नि0 श्री चन्द्र शेखर थाना मदनापुर जनपद शाहजहांपुर।
- हे0का0 सुबोध थाना मदनापुर जनपद शाहजहांपुर।
- का0 विजय प्रताप थाना मदनापुर जनपद शाहजहांपुर।
- का0 दिपांकुर त्यागी थाना मदनापुर जनपद शाहजहांपुर।